

प्रश्न:- (151) निदेशालय बीकानेर से कार्मिको का डेटा वेरीफाई करवाने के लिए निदेशालय के व्हाट्सएप्प ईमेल आई डी व फॉरमेट पोस्ट करे?



उत्तर:- केवल DDO से पे मैनेजर पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट फोरवर्ड करावे ईमेल या कोई फॉर्मेट भर कर भेजने की आवश्यकता नहीं है।



प्रश्न:- (152) एक कार्मिक का वेतन जून 2016 तक ऑफलाइन बनता था। जुलाई 2016 से paymanager से बनना शुरू हुआ। अब GPF Ledger (SIPF) में जुलाई 2016 से फरवरी 2018 तक कटौती 0 दिखा रहा है। कृपया उचित समाधान बताएँ।



उत्तर:- 1- पेमेनेजर पर अपनी एम्प्लॉई आई डी एवं Gpf नम्बर चेक करें। अगर गलत हो तो सही करावे।

2- उक्त दोनों सही हो तो GA 55, बिल के शेड्यूल की प्रतियां, GPF पास बुक की फोटो कॉपी ले कर GPF आफिस सम्पर्क कर Sipf पर कटौतियां अपडेट करावे।



प्रश्न:- (153) किसी कर्मचारी का रिटायरमेंट मई 2021 में है तो उस कर्मचारी की SI और GPF की कटौतियां कब से बंद करनी हैं ?



उत्तर:- SI की पॉलिसी सेवानिवृति तिथि से पहले आने वाली 01 अप्रैल को परिपक्व हो जाती है अतः इस केस में SI की अंतिम कटौती November 2020 तक होगी एवं दिसम्बर 2020 में क्लेम भेज देवे।

GPF की अंतिम कटौती सेवानिवृति से तीन महीने पहले बन्द होती है अतः इनकी GPF की अंतिम कटौती फरवरी 2021 तक होगी।



प्रश्न:- (154) Children care leave कौन स्वीकृत करते हैं व कितने दिनों की मिलती है ?



उत्तर:- 120 तक की CCL DDO ही स्वीकृत कर सकते हैं इससे अधिक दिनों की CCL निदेशक कार्यालय से स्वीकृत होती है।



प्रश्न:- (155) पेमेंनेजर पर किसी कार्मिक का डेटा HOD को वेरिफाई हेतु भिजवाने के लिए DDO को डिजिटल साइन से भिजवाया जाए या बिना डिजिटल साइन से ?



उत्तर:- डिजिटल साइन से डेटा Hod से वेरिफाई करवाने है। इसका Authorization में option दिया हुआ है।



प्रश्न:- (156) एक कर्मचारी के lic एड करनी है लेकिन end date सेलेक्ट नहीं होती है। आगे के साल क्रॉस हो रहे हैं। क्या करे ?



उत्तर:- मास्टर में जाकर deduction master में Add LIC का ऑप्शन है वहाँ से ऐड करे।



प्रश्न:- (157) Pripaymanager पर दिसम्बर 19 का वेतन बनाते समय हितकारी निधि की कटौती show नहीं हो रही है। समाधान बताने का कष्ट करें।



उत्तर:-उपनिदेशक एवं सचिव हितकारी निधि बीकानेर के नाम DD बनावे एवं उसकी कॉपी बिल के साथ लगावे एवं DD बीकानेर भेजे।



प्रश्न:-(158)मैंने सुना है, दुर्घटना बीमा के लिए 220 रु (जिनकी नई ज्वाइनिंग है और प्राण नंबर और सैलरी नहीं आई है) का बीमा अभी 31 तारीख से पहले ही करवाना जरूरी है जिसे कैश देकर ही करवा लेना चाहिए।

क्या यह सही है ?



उत्तर:-अपनी SSO id से 220 रु का चालान जरनेट कर जमा करा देवे साथ ही GPA प्रस्ताव भी सब्मिट करे।

जब भी प्रथम वेतन का बिल बने उसके साथ चालान एवं GPA प्रस्ताव की कॉपी अपलोड कर देना ।



प्रश्न-(159) किसी कर्मचारी का सितम्बर व अक्टुबर का डी ए 17% से उठ गया जिसे वापिस जमा करा दिया। अब जब डी ए एरियर बनाया गया तो उस कर्मचारी का उक्त महीना का एरियर शो नही हो रहा है।

एरियर कैसे बनेगा ?



उत्तर:-उचित कारण का उल्लेख कर DA एरियर सेलेरी एरियर में बनावे ।



प्रश्न:-(160) मेरे विद्यालय के 3 शिक्षक जो फिक्स वेतन पर कार्य कर रहे थे उनका मार्च माह का वेतन उनके मास्टर डेटा में लेवल गलत होने की वजह से आहरित नहीं किया गया था। उसे अब HOD से सही करवा दिया गया है। कृपया बतावें अब उनका वेतन कैसे आहरित करें क्योंकि अब जब उक्त माह वेतन बनाते हैं तो स्थगित किया गया वेतन नही आ रहा है।



उत्तर:- अब मार्च 20 का वेतन पार्शियल पे में बनावे जिसमे कोरोना फण्ड की राशि भी काटे।



प्रश्न-(161) मेरा जन्मदिन 01/05/1990 है तो रिटायरमेंट दिनांक क्या होगी जबकि मेरे पेमेनेजर डाटा मे 31/05/2050 सो हो रहा है यदि गलत तो सही कैसे होगा ?



उत्तर-आपकी सेवानिवृत्ति तिथि 30/04/2050 होनी चाहिए आप सेवापुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की कॉपी /10 वी बोर्ड का प्रमाण पत्र लगा कर ट्रेजरी को आवेदन कर पेमेनेजर पर यह सुधार करावे।



प्रश्न:- (162) क्या मई के बाकी वेतन बिल भी डिजिटल साइन बगैर पास नहीं होंगे ?



उत्तर:- माह जून 2020 paid in जुलाई 2020 के वेतन बिल डिजिटल साइन से भेजना अनिवार्य है।



प्रश्न:- (163) एक कार्मिक का महात्मा गांधी विद्यालय में चयन हुआ है एवं उसे 29/05/20 को कार्यमुक्त किया गया है। अब उसके मई का वेतन पूरा बनावे या 29 दिन का बनावे।



उत्तर:- कोई कार्मिक एक विभाग से दूसरे विभाग में जाता है या किसी प्रोजेक्ट में प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो उस माह working days के हिसाब से वेतन बनाया जाता है।

इस केस में कार्मिक Sec विभाग से Sec विभाग में ही जा रहा है इसलिये पूरे महीने का वेतन बना कर LPC जारी की जावे।



प्रश्न:- (164) चिकित्सा विभाग में नर्स 2 के पद पर मेरी जोइनिंग 12 फरवरी 2016 की है। 9 फरवरी 2019 में मेरा एक्सीडेंट हो जाने के कारण मुझे 118 दिन का अवकाश लेना पड़ा। नयी जोइनिंग होने के कारण मेरा 65 दिन का पेमेंट काटा गया (अर्जित pl व मेडिकल जोड़कर) क्या मुझे एडवांस में pl व मेडिकल नहीं मिल सकती थी ? RSR के हिसाब से उचित राय दे।



उत्तर:-, नियंत्रण अधिकारी चाहे तो Leave not due अवकाश खाते में जमा नहीं होने पर भी स्वीकृत कर सकते हैं। यह कर्मचारी का अधिकार नहीं है।

(यदि नियंत्रण अधिकारी आश्वस्त हो कि कार्मिक अवकाश से लौटने के बाद अर्जित कर लेगा जब ही वे स्वीकृत करते हैं अन्यथा नहीं)



प्रश्न:- (165) एक तृ वे श्रृं का शिक्षक एक ही मण्डल के जिला भीलवाड़ा से टॉक में स्थानांतरित होकर जाता है तो उस शिक्षक की पदोन्नति हेतु वरिष्ठता समाप्त होगी या नहीं ? उसकी मण्डल स्तरीय वरिष्ठता वही रहेगी या बदलेगी ? कृपया अधीकृत आदेश से अवगत करावे।



उत्तर:- 3rd ग्रेड टीचर की वरिष्ठता सूची जिला स्तर पर बनती है एवं जिला ट्रांसफर होने पर पुरानी वरिष्ठता विलोपित हो जाती है।



प्रश्न:- (166) बिल स्टेटस में ऑब्जेक्शन शो हो रहा है। बिल रिवर्ट करने हेतु पहले डिजिटल सिग्नेचर डिलीट करने है। डिजिटल सिग्नेचर में ऑब्जेक्शन वाला बिल शो नहीं हो रहा। समाधान हो तो बताएं।



उत्तर:- बिल रिवर्ट करे फिर उस बिल का प्रोसेस डिलीट कर देवे वही बिल आवश्यक सुधार पर पुनः नये बिल की तरह प्रोसेस करे।



प्रश्न:- (167) मेरी पोस्टिंग 2012 की है। मेरी SI कटौती 1300 रुपये है। अब मुझे लोन की आवश्यकता है। क्या SI की जमा राशि पर मुझे लोन मिल सकता है और मिलेगा तो कितने %?



उत्तर:- आप लोन ले सकते है SI में लोन नियमानुसार पॉलिसी के समर्पित मूल्य के 90% के बराबर लोन स्वीकृत किया जाता है।



प्रश्न:- (168) एक अध्यापक 6th pay commission में सैलरी ले रहा है-

Basic - 22830

HRA -2283

D.A. - 37441

इनको मार्च में कितनी सैलरी मिलेगी और CM Corona relief fund कितनी राशि कटेगी ?



उत्तर:- आदेश के अनुसार मार्च 20 का वेतन 15 दिन का ऑटो जरनेट हो कर बनेगा एवं कोरोना फण्ड में बेसिक के आधार पर 3 दिन की राशि कटेगी।



प्रश्न:- (169) मैं पहले जोधपुर सिटी में पोस्टेड था। अक्टूबर 19 में फलौदी ट्रांसफर कर दिया। मुझे छः माह तक HRA 16% मिलना चाहिए परन्तु प्रिंसिपल सर के ध्यान में आया नहीं या पता नहीं कैसे मुझे अभी तक 16% HRA से बिल बना रहे है ।

इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। अब क्या किया जाए ?



उत्तर:-अधिक भुगतान की वसूली भरे एवं इसे आगे से HRA 8 % सही करावे। गलती किसी की हो अधिक भुगतान की वसूली आप से ही होगी।



प्रश्न:- (170) एक कार्मिक की प्रथम नियुक्ति तिथि अध्यापक पद पर 1.1.2009 है। 01/01/2011 को उसका स्थायीकरण हो गया। उक्त कार्मिक 1.7.2017 को सीधी भर्ती से व्याख्याता पद पर प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में कार्यग्रहण करता है। इस कार्मिक ने 2013 में ग्रीष्मावकाश में प्रशिक्षण प्राप्त किया जिसकी एवज में अर्जित उपार्जित अवकाश जोड़ा नहीं गया। उक्त उपार्जित अवकाश अगस्त 2017 में जोड़ा गया। क्या प्रोबेशन काल में पूर्व में अर्जित उपार्जित अवकाश जोड़ा जा सकता है ?



उत्तर:- प्रोबेशन पीरियड से पहले पूर्व पद पर स्थाई होकर अर्जित अवकाश (PL/HPL), प्रोबेशन पीरियड के दौरान सेवा पुस्तिका में जोड़े भी जा सकते हैं और उपभोग भी किए जा सकते हैं।



प्रश्न:- (171) क्या DDO के डिजिटल सिग्नेचर के बाद और ट्रेजरी को बिल फॉरवर्ड करने से पहले कोई गलती रह जाती है तो बिल को डिलीट कर नये सिरे से वापस बना सकते हैं ?

(2) क्या पहले ट्रेजरी फॉरवर्ड के बाद डिजिटल सिग्नेचर होने पर गलती पर बिल रिवर्ट करवाना पड़ता था ? कृपया जानकारी दे।



उत्तर:- बिल ट्रेजरी फोरवर्ड नहीं किया है तो DDO अपने स्तर पर बिल में आवश्यक सुधार अपने स्तर पर कर सकते हैं।

यदि बिल ट्रेजरी फोरवर्ड कर दिया है तो उसमें सुधार हेतु पहले बिल ट्रेजरी से रिवर्ट कराना होगा।



प्रश्न:- (172) एक कार्मिक पीडी हेड वाले को एनपीएस के भुगतान की प्रक्रिया क्या है ? उसकी सर्विस 2 वर्ष 10 माह ही है। मृत्यु 13 अप्रैल 2020 को हुई थी।



उत्तर:- निर्धारित क्लेम फॉर्म, सेवा समाप्ति आदेश, डेथ सर्टिफिकेट आदि भर कर DDO के माध्यम से GPF आफिस भेजे।



प्रश्न:- (173) यात्रा भत्ता दावा प्रस्तुत करते समय भोजन व आवास भत्ता प्राप्त करने के लिए क्या प्रावधान है ?



उत्तर:- TA rules के अनुसार दैनिक भत्ता निम्नानुसार देय होता है ।

1:- 6 घण्टे तक Nil

2:- 6 घण्टे से 12 घण्टे तक 70%

3:- 12 घण्टे से अधिक पर पूरे

दिन का दैनिक भत्ता मिलता है।

नोट:- आवासीय प्रशिक्षण अथवा बैठक में जहा चाय, नाश्ता खाने, आवास, आदि की व्यवस्था आयोजक करते हैं वहाँ नियमानुसार 25% दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाता है।



प्रश्न:- (174) मेरी पोस्टिंग 1993 की है परन्तु मेरी एम्प्लोई आईडी में 1998 है। क्या यह सही है ? यदि नहीं तो कैसे संशोधन होगा ?



उत्तर:- इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि इसको सुधार करवाना है तो उस SIPF कार्यालय से संपर्क करे जिसके द्वारा यह जारी की गई थी।



प्रश्न: -(175) क्या कोई परित्यक्ता या विधवा नौकरी जॉइन करने के पश्चात पुनर्विवाह कर सकती है ? यदि वह उसे घोषित किये बिना सिर्फ अपनी संतानों को शाला दर्पण, paymanager या sipf इत्यादि में जोड़ने का दबाव बनाए तो नियम क्या कहते हैं ? क्या इस प्रकार का अघोषित विवाह उसकी नौकरी से उसे किसी नियम के तहत पृथक करता है ? कई ऐसे कार्मिक अपनी संतानों की ट्यूशन फीस की छूट हेतु भी दबाव बनाते हैं। कृपया आप तर्कवितर्क द्वारा स्पष्ट करने का कष्ट करें।



उत्तर:-विधवा एवम परित्याग महिला नोकरी लगने के बाद विवाह कर सकती है। उसके विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के आधार पर एवं उसके बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर शाला दर्पण एवं Paymanger पर उसके परिवार के सदस्यों का विवरण दर्ज कर सकते है।



प्रश्न:-(176) एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसकी पेंशन मिल रही है।

2013 मे उसकी पत्नी को उस कर्मचारी की एवज में अनुकम्पा नियुक्ति शिक्षा विभाग में ही मिल जाती हैं और वो नौकरी भी कर रही हैं साथ ही साथ पेंशन भी उठा रही हैं। क्या यह सही है। स्पष्ट करे।



उत्तर- अनुकम्पा नौकरी पर वेतन एवं मृत पति की पारिवारिक पेंशन दोनों देय है लेकिन DA दोनों मे से किसी एक पर मिलता है।

मिलने वाली पारिवारिक पेंशन में DA नहीं मिलता है। DA उसको नौकरी की सेलेरी पर देय होता है।



प्रश्न:-(177) किसी कार्मिक के खाते में एक वर्ष में अधिकतम कितने उपार्जित अवकाश जोड़े जा सकते हैं ?

जैसे कोई मंत्रालयिक कर्मचारी को वर्ष में 30 पी एल देय होती है। उसको कार्यग्रहण के बदले 10 पी एल स्वीकृत करने पर एक वर्ष में 40 पी एल हो जाती है। क्या यह नियमानुसार सही है ?



उत्तर:- राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार किसी भी कार्मिक के एक कलेंडर वर्ष में 30 दिन से अधिक उपार्जित अवकाश उसके अवकाश खाते में नहीं जोड़ी जा सकती है।

नोट:- कार्यग्रहणकाल नियम 1981 के अनुसार प्रशासनिक/राज्य हित में स्थानांतरण होने पर कार्यग्रहणकाल का उपभोग नहीं करने पर योगकाल के रूप में उपार्जित अवकाश अतिरिक्त जोड़ी जाती है। उनका प्रतिवर्ष देय होने वाली अधिकतम सीमा से कोई संबंध नहीं है।

(लेकिन अवकाश कालीन कार्मिक की 300 तथा गैर अवकाश कालीन कार्मिक की 300+15 की अधिकतम सीमा लागू होगी)



प्रश्न:- (178) ऐसे कार्मिक जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनकी अधिवार्षिकी आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी पे मैनेजर ID अभी भी है तो उनका क्या किया जाये ? क्या उन्हें कहीं transferr कर सकते हैं ? जबकि उनसे संबंधित वेतन, भत्ते कुछ भी बकाया नहीं है।



उत्तर:- Paymanager ID को डिलीट कर नहीं हटा सकते हैं। सुविधा के लिए एक अलग रिटायर्ड ग्रुप बना कर सभी ऐसी अनावश्यक ID को उसमें डाल कर रख सकते हैं।



प्रश्न:-(179) एक कार्मिक का सेलेरी एरियर का बिल एक डाक्यूमेंट्स के अभाव में ओब्जेक्सन हो गया। त्रुटि वश डिजिटल साईन को डिलीट करने से ही पूर्व बिल रिवर्ट कर दिया। क्या उस बिल के साथ डाक्यूमेंट्स अटेच कर वापस सबमिट कर सकते हैं ? कृपया पूरा प्रोसेस बताये।



उत्तर:- उस बिल का प्रोसेस डिलीट कर दो एवं उसी बिल को दोबारा नये बिल की तरह बना देवे।



प्रश्न- (180) एक कार्मिक जो सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनका सरेंडर बिल नहीं बन रहा है। जब बिल प्रोसेस करते हैं तो अटेच ppo नम्बर बताया जा रहा है और जब ppo अटेच किया जाता है तो no रिकॉर्ड फाउंड बताया है जबकि कार्मिक 07/19 में सेवानिवृत्त हुआ था।



उत्तर:-1 यह समस्या paymanager एवं PPO में नाम मिसमैच के कारण होती है आप कार्मिक का नाम paymanager एवम PPO में मिलान करे यदि दोनों में मिसमैच है तो PPO के अनुसार paymanager में उनके नाम मे आवश्यक सुधार करावे।

2:-इसके साथ ही कार्मिक की जन्म तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि एवं प्रथम नियुक्ति तिथि भी पेमेनेजर पर चेक करें। अगर गलत हो तो उसे सही करावे।



प्रश्न:-(181) एक कार्मिक का सेलेरी एरियर बिल एक डाक्यूमेंट्स के अभाव में ओब्जेक्सन हो गया! त्रुटिवश डिजिटल साईन को डिलीट करने से ही पूर्व बिल रिवर्ट कर दिया। क्या उस बिल के साथ डाक्यूमेंट्स अटेच कर वापस सबमिट कर सकते हैं ? कृपया पूरा प्रोसेस बताये।



उत्तर:- बिल डिलीट कर दो और उसी नम्बर से दोबारा नया बिल बना देवे।



प्रश्न:- (182) हमारे विद्यालय में एक वरिष्ठ अध्यापिका 31.5.20 को सेवानिवृत्त हुए हैं। पेंशन कूलक के साथ नवीन PL डिमांड निर्धारित फॉर्म भर कर भेज दिया था। कृपया बताएं कि इस PL का बजट स्वतः ही हमारे स्कूल के हेड में (ifms) आ जायेगा या फिर से निर्धारित फॉर्म में डिमांड करनी पड़ेगी।

या ये बजट ट्रेजरी में आएगा।

कहाँ चेक करे ?



उत्तर:- PPO जारी होने के बाद IIFMS पर 2071-01-115-01-01 हेड में बजट चेक करे यदि बजट स्वतः प्राप्त हो जाता है तो बिल बनावे अन्यथा सम्बन्धित पेंशन कार्यालय से निर्धारित प्रपत्र में बजट की डिमांड करे।



प्रश्न:- (183) मेरा तृतीय श्रेणी अप्रैल 2019 में पदस्थापन हुआ और अब द्वितीय श्रेणी 2018 भर्ती में चयन हुआ है और मैंने एनओसी लेकर के काउंसलिंग करवाई। क्या मुझे प्रोबेशन काल अलग अलग करना पड़ेगा या तृतीय श्रेणी वाला जुड़ जाएगा ? मुझे कौन सा वेतन लेना चाहिए ? सर मैं नया कार्मिक हूँ पूरी जानकारी बताइए।



उत्तर:- 3rd ग्रेड में दो वर्ष पूरे नहीं हुए हैं इसलिए 2nd ग्रेड में नई जोड़निंग पर 2 वर्ष का पूर्ण प्रोबेशन काल होगा और 2nd ग्रेड का fix वेतन मिलेगा।



प्रश्न:- (184) मेरी date of joining 02-07-1987 है। प्रथम ACP इसी दिनांक से दी गई व द्वितीय ACP जिला परिषद से चयनित दिनांक से दी गई है अर्थात् 04-12-1990 से दी गई। क्या यह सही है ?



उत्तर:- अब संशोधित आदेश के अनुसार जिला परिषद से चयनित तिथि 04/12/1990 से ही बकाया एसीपी देय होगी आपको जो एसीपी दी गई है वह सही है।



प्रश्न:- (185) एक कार्मिक का गलती से जनवरी का SI deduction हो गया और ट्रेज़री ने बिल पास भी कर दिया अब amount वापस लेने का क्या प्रोसेस है ?



उत्तर:- GA 55, शेड्यूल की कॉपी संलग्न कर Gpf आफिस को राशि रिफण्ड हेतु आवेदन करे।



प्रश्न:- (186) किसी कार्मिक की मृत्यु के पश्चात उसकी SI राशि उठाने के लिए बजट की मांग किस मद में की जाती है ?



उत्तर:- SI के भुगतान हेतु अलग से बजट की डिमांड करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन क्लेम फॉर्म सबमिट कर नॉमिनी के हस्ताक्षर से उसे GPF आफिस भेजे।



प्रश्न- (187) 15 दिवस उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के लिए बिल बनाये गए हैं। PL कार्यालय आदेश अपलोड कैसे करना है ?



उत्तर:- PL की सेक्शन को पीडीएफ में करवर्ट करे फिर Acrobat reader Dc के द्वारा पीडीएफ पर E sing करे अथवा सेक्शन आदेश को स्केन करें एवं पीडीएफ बनावे फिर उस पीडीएफ को अपलोड डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर देवे।



प्रश्न:- (188) 03 के लिए प्रस्ताव बीकानेर किस मेल पर किये जाते है मेल आई डी बतावे।



उत्तर:-03 के प्रस्ताव Deo Hq/Cbeo की टिप्पणी सहित Deo/Cbeo ऑफिस से ही बीकानेर ईमेल किये जाते है अतः प्रकरण निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर Deo/Cbeo के आफिस में भेजे।



प्रश्न:-(189) क्या Treasury से digital dongle verify करवाने के बाद सभी employee का master data hod से digitally verify करवाना होगा ?



उत्तर:- जी हाँ। सभी के मास्टर डेटा डिजिटल साइन से Hod को फोरवर्ड कर verified करवाना अनिवार्य है। इसके अभाव में माह जून 2020 के बिल नहीं बनेंगे।



प्रश्न:-(190) हमारे एक अध्यापक साथी जुलाई 2020 में सेवानिवृत्त होंगे। क्या उनका सत्र 2020-21 का अभी पूरा 15 सरेंडर (PL) का बिल बना सकते है या नहीं ?



उत्तर:-यदि पूर्व में वर्ष 2020-21 में समर्पित अवकाश का भुगतान नहीं उठाया है तो सरेंडर लीव का का बिल बनाया जा सकता है।



संशोधित उत्तर

प्रश्न:-(176) एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसकी पेंशन मिल रही है।

2013 मे उसकी पत्नी को उस कर्मचारी की एवज में अनुकम्पा नियुक्ति शिक्षा विभाग में ही मिल जाती हैं और वो नौकरी भी कर रही हैं साथ ही साथ पेंशन भी उठा रही हैं। क्या यह सही है। स्पष्ट करे।



उत्तर- अनुकम्पा नौकरी पर वेतन एवं मृत पति की पारिवारिक पेंशन दोनों देय है। तथा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 19/05/2017 के आदेश अनुसार पेंशन एवम वेतन दोनों में से एक पर DA मिलता था।

अब वित्त विभाग के आदेश:-F12(4) FD/Rules/2008 Jaipur Date 27/06/2018 के द्वारा अनुसार 19/05/2017 के आदेश को संशोधित कर विधवा कार्मिक को 01/06/2018 से उसकी पारिवारिक पेंशन एवम नियमित वेतन दोनों पर नियमानुसार DA देय होता है।



प्रश्न:-(191) किसी कार्मिक का बोनस बिल 2018 में बजट अभाव में नहीं बन पाया तथा उसके बाद लिपिकीय भूल के कारण वह बिल आज तक नहीं बना। अब जब उक्त कार्मिक का रिटायरमेंट दिसंबर 2020 में है तो बोनस बिल नहीं बन पाने की जानकारी हो पाई है। अब बोनस बिल बनाने की प्रक्रिया क्या होगी ? कृपया सुझाव दें।



उत्तर:-विलम्ब का कारण बताते हुए बकाया बोनस का बिल बना सकते है।

यदि बिल oct 2020 के बाद बनाते है तो प्री चेक की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।



प्रश्न:-(192) वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 में एक्स सर्विसमेन केटेगरी से एक व्यक्ति का सामाजिक विज्ञान एवं हिन्दी विषय दोनों में चयन हुआ। उन्होंने सामाजिक विज्ञान से जालौर जिले में नियुक्ति ले ली। अब इस भर्ती की काउन्सिलिंग दोबारा हो रही है तो अगर वह अध्यापक हिन्दी विषय से जोईनिंग लेता है तो क्या उन्हें प्रोबेशन दोबारा पूरा करना पड़ेगा ? प्रोबेशन 18 माह का हो चुका है। काउंसिलिंग दोबारा कोर्ट के आदेश से हो रही है।



उत्तर:-कोर्ट के रिशफल रिजल्ट से दूसरे विषय में सीधी भर्ती में चयन होने पर 2 वर्ष का प्रोबेशन पुनः जोईनिंग डेट से ही गिना जायेगा।



प्रश्न:- (193) बिल अॉब्जेक्सन स्टेटस में कुछ नहीं है जबकि सभी बिल कवरिंग वाले बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों ?



उत्तर:- बिल ट्रेजरी फोरवर्ड करने के 48 घण्टे में उस पर ट्रेजरी में टोकन न जारी नही होने पर वह बिल कवरिंग लेटर में ऑटो दिखाई देता है उन बिलो का कवरिंग लेटर जरनेट करे।



प्रश्न:- (194) किसी कार्मिक का paymanager पर subordinate के स्थान पर state service होने के कारण उसकी CM corona relief की राशि अधिक कट गई। अब वह राशि वापस कैसे आ सकती है ?

कृपया उचित मार्गदर्शन प्रदान करें।



उत्तर:- इसमे अब राशि रिफंड नही होगी भविष्य के लिए मास्टर डेटा में आवश्यक सुधार करवा देवे।



प्रश्न:- (195) अपने परिवीक्षा काल में कोई भी कार्मिक कितने दिवस लीव विदाउट पे रह सकता है जिससे उसकी स्थायीकरण तिथि आगे नहीं खिसके। आपसे निवेदन है कि इस संबंध में सही जानकारी देते हुए नवीनतम आदेश भी उपलब्ध कराई जाने का श्रम करें।



उत्तर:- नियमानुसार प्रोबेशन में 30 दिन तक अवैतनिक अवकाश लेने पर प्रोबेशन आगे नही बढ़ता है इससे अधिक अवधि में पूरी अवधि तक प्रोबेशन आगे बढ़ता है।



प्रश्न:- (196) एक कार्मिक का 5 माह का एनपीएस नहीं काटा गया। अब उस कार्मिक का बकाया 5 माह का एनपीएस कैसे जमा करवाए ?



उत्तर:-कार्मिक की SSO ID से NPS का चालान जरनेट कर जमा करावे।



प्रश्न:-(197) सैलरी बिल दिनांक 27-5-20 को digital sign करके भेज दिये। आज तक टोकन नम्बर नहीं लगे। ट्रेजरी से पता करने पर कहा कि बिल ही पहुंचा नहीं जबकि मेरे पास ट्रेजरी फौरवर्ड दिखा रहा है। रिवर्ट कराके सारी प्रक्रिया पुनः अपनायी (2.30pm) अब भी टोकन नम्बर नहीं लगा तथा बिल digital sign new में show हो रहा है | क्या एेसा हो सकता है ?



उत्तर:-48 घण्टे में बिल पर ट्रेजरी में टोकन नम्बर नही लगते है तो बिल ऑटो कवरिंग लेटर में शो होता है आपके वह बिल esign में शो हो रहा है तो बिल को डिलिट कर पूरा प्रोसेस दोबारा करे।



प्रश्न:-(198) सेवानिवृत्त कर्मचारी के उपार्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान हेतु बजट आवंटन के लिए अजमेर संभाग की मेल आई डी बतावे ?



उत्तर;-पेंशन विभाग के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयो की मेल आई डी निम्नानुसार है।👉

1.👉निदेशालय पेंशन विभाग जयपुर

dir-pen-rj@nic.in

2.👉 पेंशन कार्यालय जोधपुर

jdpen-jod-rj@nic.in

3.👉पेंशन कार्यालय कोटा

jpgension.kota@rajasthan.gov.in

4 📁 पेंशन कार्यालय बीकानेर

jdpenbik@gmail.com

5 📁 पेंशन कार्यालय अजमेर

jd Pensionajmer@yahoo.in

6 📁 पेंशन कार्यालय उदयपुर

jd Pension.udaipur@gmail.com

7 📁 पेंशन कार्यालय भरतपुर

jd Pensionbharatpur@gmail.com



प्रश्न:- (199) New पेंशन स्कीम में कार्मिक के C.Pen.F. A/c No. और Pran No. में क्या अंतर है। GPF खाता नम्बर की तरह कार्मिक के खाता नम्बर C.Pen.F. A/c No से कार्मिक की कटौती जमा होती है या Pran No से। कृपया स्पष्ट जानकारी दें। कई बार कार्मिकों के बिलों में दोनों नम्बर एक ही होते हैं क्या ये सही है ?



उत्तर:- पहले NPS की कटौती cpnf नम्बर से होती थी अब जब से NPS कार्मिकों के PRAN नम्बर आवंटित किए गए हैं तब से NPS की कटौती प्राण नम्बर से ही कार्मिक के खाते में जमा होती है जिसे कार्मिक NSDL की साइट पर अपने user ID & Password से देख भी सकता है।



प्रश्न:- (200) किसी कार्मिक का त्रुटिवश HRA एड नहीं हुआ। बिल पास होकर अकाउंट में वेतन भी जमा हो गया। अब उन्हें HRA की राशि का भुगतान कैसे करे ? मार्गदर्शन करावे।



उत्तर:- डिफरेंस शीट बना कर सेलेरी एरियर में HRA का अंतर बिल बना लेवे साथ ही बिल में उचित कारण अंकित करे तथा HRA सेक्शन की कॉपी अपलोड करें।



प्रश्न:-(201) अगर कोई विद्यालय UPS से सेकंडरी में क्रमोन्नत होता है तो उसके DDO कोड कैसे आते हैं ? क्या इसके लिए कोई फॉर्म भरना पड़ेगा ?



उत्तर:-क्रमोन्नति आदेश संलग्न कर एक निर्धारित फॉर्म भर कर जिला ट्रेजरी में देवे वहां से DDO कोड जारी होते हैं। इससे पहले स्कूल का आयकर विभाग से TAN नम्बर जारी करावे।



प्रश्न:-(202) किसी कार्मिक ने तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर 11-04-18 को जॉइन किया और प्रोबेशन पूर्ण होने से पूर्व ही 58 दिन का अवकाश (अवैतनिक) ले लिया। प्रश्न है कि

1. क्या पेरो यह अवकाश स्वीकृत कर सकता है ? अगर नहीं तो 30 दिन का कौन करेगा और उसके बाद के कौन करेगा ?
2. अवकाश के दौरान वेतन कटौती नहीं हो पाई तो अब कैसे होगी और epnf govt share भी कैसे वापस होगा ? कृपया सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें।



उत्तर:-प्रोबेशन में 30 दिन तक अवैतनिक अवकाश नियुक्ति अधिकारी स्वीकृत करते हैं उससे अधिक अवधि होने पर सरकार का प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत होता है। इसमें सम्पूर्ण अवधि तक प्रोबेशन आगे बढ़ेगा।

अधिक भुगतान की वसूली होगी इसमें Nps Govt अंशदान की राशि भी जोड़नी होगी ।



प्रश्न:-(203) बिल में Insurance Assistant objection लगा है। इसे कैसे दूर करेगे ?



उत्तर:- यह बीमा विभाग के सहायक द्वारा बिल की जांच में ऑब्जेक्शन लगाया है। इसे दूर करने के लिए कार्मिको की GPF/NPS/SI की कटौतियां चेक कर सही करे एवं बिल से सम्बन्धित कोई घोषणा पत्र हो तो वह अपलोड करे।



प्रश्न:- (204) अगर अप्रैल माह के बिल बनाने में सामूहिक दुर्घटना बीमा की कटौती नहीं की गई है तो क्या आगे के किसी और महीने में की जा सकती है ? क्या उसके बिना अप्रैल माह का बिल पास हो जाएगा ? कृपया समस्या समाधान करें।



उत्तर:- कार्मिक की SSO ID से 220 रु का चालान जरनेट कर भरे एवम चालान की कॉपी एवं GPA प्रस्ताव की कॉपी बिल के साथ लगावे।



प्रश्न:- (205) NPS में पिताजी एवं पत्नी दोनो को नोमिनी चयन कर रखा है। पिताजी के डेथ हो जाने पर नोमिनो पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?



उत्तर:- दोनों के 50%-50% शेयर किया हुआ होगा। अब निर्धारित फॉर्म S2 भर कर पत्नी के नाम 100% शेयर कर नॉमिनी के नाम को अपडेट करावे।



प्रश्न:- (206) DA bill rejected by RBI. what is reason.

मृतक कर्मचारी का बिल है इस समस्या क्या हल है ?



उत्तर:- मृत कार्मिक का बैंक A/C बन्द कर दिया है इसलिए बिल को ट्रेजरी से cancelled करावे एवं बिल डिलीट कर देवे। उसके बाद पेमेनेजर पर नॉमिनी ऐड कर बिल वापस बनावे क्योंकि इस बिल का भुगतान नॉमिनी को होगा।



प्रश्न:- (207) मई के सैलरी बिल में सैलरी रिपोर्ट शो नहीं हो रही है और पता नहीं चल रहा है कि बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड हुआ या नहीं ?



उत्तर:- इसके लिए Authorization में view bill status में देखे।



प्रश्न:- (208) कार्मिक की retirement date 31/08/2029 paymanager पर आ रही हैं जबकि कार्मिक की death 26/01/2019 को हो गयी। कृपया paymanager पर date कैसे change होंगी। यह बताने का कष्ट करें।



उत्तर:- कार्मिक के मास्टर डेटा में status death अपडेट करे। वह डेथ की डेट मांगेगा, वहाँ date of death अपडेट कर देवे।



प्रश्न:- (209) अगर कोई बिल ट्रेजरी फोरवर्ड कर दिया जाता है तथा डिजिटल साइन देरी से किए जाते हैं जिसकी वजह से कवरिंग लेटर जारी हो जाता है इस स्थिति में कवरिंग लेटर ट्रेजरी को कैसे भेजा जाएगा ?



उत्तर:- कवरिंग लेटर अभी ऑफ लाइन नहीं जाता है। आप रेफरेन्स नम्बर सहित ट्रेजरी को फोन से सूचित कर देवे या ईमेल से कवरिंग लेटर ट्रेजरी को भेज देवे।



प्रश्न:- (210) Egras से GIS चालान बनाते हैं तो अप्रैल to मार्च करना चाहिए या मई to अप्रैल करना चाहिए। यह किस अवधि का होता है ?



उत्तर:-Egras से GIS 220 रु का चालान बना रहे हैं तो अवधि में 01/05/20 से 30/04/2021 फीड करे।

